

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारंकित प्रश्न संख्या- 2020
गुरुवार, 8 अगस्त, 2024/17 श्रावण, 1946 (शक)

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत उपलब्धियाँ

2020# डा. सुमेर सिंह सोलंकी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पांच वर्षों के दौरान आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना से मध्य प्रदेश राज्य सहित जिला- वार कूल कितने लोग लाभान्वित हुए हैं; और
- (ख) अब तक प्राप्त उपलब्धियों तथा इस पर सरकार की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) एवं (ख): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगारों के सृजन तथा कोविड-19 महामारी के दौरान समाप्त हुए रोजगारों के पुनः स्थापन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी। दिनांक 31.03.2022 तक पंजीकृत लाभार्थियों को योजना के तहत पंजीकरण की तारीख से 2 वर्षों तक लाभ प्रदान किया गया है। दिनांक 31.03.2024 तक, मध्य प्रदेश राज्य सहित देश में कुल 60.49 लाख कर्मचारियों ने योजना का लाभ उठाया है।

मध्य प्रदेश राज्य के लिए एबीआरवाई के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या का जिला-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

राज्य सभा के दिनांक 08.08.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2020 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध मध्य प्रदेश राज्य के लिए एबीआरवाई के तहत लाभार्थियों की संख्या का जिला-वार ब्यौरा

जिला	लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या
आगर मालवा	126
अलीराजपुर	67
अनुपपुर	227
अशोकनगर	163
बालाघाट	604
बड़वानी	254
बेतुल	467
भिंड	892
भोपाल	25474
बुरहानपुर	567
छतरपुर	466
छिंदवाड़ा	1663
दमोह	304
दतिया	558
देवास	3134
धार	26221
डिंडोरी	6
पूर्वी निमाड़	1173
गुना	1651
ग्वालियर	7695
हरदा	351
होशंगाबाद	1685
इंदौर	77965
जबलपुर	10740
झाबुआ	199
कटनी	2251
खरगोन	2719
मंडला	393
मन्दसौर	1396
मुरैना	730
नरसिंहपुर	229
नीमच	498
पन्ना	21
रायसेन	9991
राजगढ़	1162
रतलाम	2860
रीवा	1322
सागर	2482
सतना	2467
सीहोर	4596
सिवनी	497
शाहडोल	383
शाजापुर	831
श्योपुर	18
शिवपुरी	335
सीधी	280
सिंगरौली	2638
टीकमगढ़	784
उज्जैन	3888
उमरिया	92
विदिशा	386
योग	205901

